झारखंड उच्च न्यायालय, रांची
सिविल रिट याचिका संख्या 4712/2019

शाहबाज खान, उम्र लगभग 31 वर्ष, पुत्र शमशाद खान, निवासी मकान नंबर 17, रोड नंबर 1, आजाद नगर, डाकघर + थाना- मानगो, जमशेदपुर, जिला- पूर्वी सिंहभूम, झारखंड ।

... याचिकाकर्ता

बनाम

1. सचिव शहरी विकास विभाग, झारखंड सरकार, रांची के माध्यम से झारखंड राज्य, प्रोजेक्ट भवन, डाकघर-धुर्वा, थाना-धुर्वा, जिला-रांची, झारखंड
2. उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, डाकघर+थाना+जिला-जमशेदपुर, झारखंड
3. सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट, धालभूमगढ़, डाकघर + थाना- धालभूमगढ़, जिला- पूर्वी सिंहभूम, झारखंड
4. सर्किल ऑफिसर, मानगो, डाकघर + थाना- मानगो, जिला- पूर्वी सिंहभूम, झारखंड

... प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता की ओर से : श्री ऋषिकेश गिरि, अधिवक्ता
श्री रितेश कुमार, अधिवक्ता श्री ओम प्रकाश, अधिवक्ता
प्रतिवादियों की ओर से : सुश्री सुनीता कुमारी, एसी से सीनियर एससी II

प्रस्तुत

माननीय न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी

न्यायालय द्वारा:- दोनों पक्षों को सुना।

2. यह रिट याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत ज्ञापन संख्या 421 दिनांक 07.03.2019 को रद्द करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है, जिसकी प्रतिलिपि अनुलग्नक 5, पृष्ठ 23-24 पर रखी गई है, जिसके द्वारा वार्ड नंबर 8, दाईगुटू, मानगो, जमशेदपुर में प्लॉट नंबर 1841, खाता नंबर 1249 के चारों ओर चारदीवारी बनाने का आदेश पारित किया गया है और उक्त निर्माण के लिए 15,28,400/- रुपये की राशि मंजूर की गई है और इसके निर्माण के लिए 3,82,100/- रुपये आवंटित किए गए हैं और दूसरी बात, प्रतिवादियों को कथित सरना स्थल, जो कि अनाबाद परती भूमि (सरकारी भूमि) पर स्थित है, के चारों ओर चारदीवारी के निर्माण को रोकने के लिए आदेश देने और परिणामी राहत के लिए है।

3. याचिकाकर्ता का मामला यह है कि विचाराधीन भूमि का उपयोग पिछले पांच दशकों से समाज के हर वर्ग के सार्वजनिक कार्यों के लिए किया जा रहा है। उक्त चहारदीवारी के निर्माण की आधारशिला 10.03.2019 को रखी गई थी। विचाराधीन भूमि के निर्माण की जानकारी मिलने के बाद क्षेत्र के निवासियों ने अधिकारियों के समक्ष कहा कि इस तरह के निर्माण से उनके घर में आने-जाने में बाधा उत्पन्न होगी। चहारदीवारी के निर्माण के कारण आपातकालीन सेवाएं आपातकालीन समय पर उपलब्ध नहीं हो पाएंगी। इलाके के निवासियों को संबंधित भूमि पर सुखभोगी अधिकार प्राप्त है। अधिकारी इस वास्तविक मुद्दे को संबोधित करने में विफल रहे हैं कि किन परिस्थितियों में सरकारी भूमि को सरना स्थल माना जाता है। सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी मांगी गई थी और उसी के परिणामस्वरूप अनुलग्नक 5 प्रदान किया गया था। याचिकाकर्ता ने आगे दलील दी है कि अनुलग्नक 5 का लाभ समाज के केवल एक वर्ग को मिल रहा है और राज्य की भूमि का दुरुपयोग किया जा रहा है, कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना, क्योंकि भूमि का उपयोग कल्याण विभाग द्वारा कुछ व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने के लिए किया जा रहा है।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने दलील दी कि विचाराधीन भूमि कभी सरना स्थल नहीं थी। अश्विनी कुमार उपाध्याय बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले में रिट याचिका (सिविल) संख्या 190/2023 में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हुए याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने दलील दी कि उक्त फैसले के पैरा 5 में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दोहराया है कि भारत, जो कि प्रस्तावना के अनुसार 'भारत' है, एक धर्मनिरपेक्ष देश है और परम पावन केशवानंद भारती श्रीपदगलवरु बनाम केरल राज्य एवं अन्य के मामले में 1973 4 एससीसी 225 में रिपोर्ट की गई थी, जिसमें कहा गया था कि "भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है जिसमें कोई राज्य धर्म नहीं है"।

5. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने आगे कहा कि प्रश्नगत निर्माण भारत के संविधान की प्रस्तावना और भावना का अपमान करता है जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 में परिकल्पित है। इसलिए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस रिट याचिका में याचिकाकर्ता की प्रार्थना को स्वीकार किया जाए।

6. दूसरी ओर, प्रतिवादी-राज्य के विद्वान वकील ने रिट याचिका में की गई प्रार्थना का जोरदार विरोध किया और कहा कि रिट याचिका स्वयं मेंटेन करने योग्य नहीं है और जवाबी हलफनामे के पैरा 10 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि विचाराधीन भूमि का उपयोग कभी भी समाज के सार्वजनिक कार्य के लिए नहीं किया गया। आगे यह कहा गया है कि अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के लिए झारखंड सरकार की भूमि का उपयोग सरकार द्वारा सरना स्थल के रूप में किया जा रहा है, सचिव, कल्याण विभाग, झारखंड, रांची के माध्यम से जहरे स्थान घेराव कार्यक्रम के तहत अनुमति दी गई है और झारखंड राज्य को अनुसूचित क्षेत्रों में ऐसा करने का पूरा अधिकार है।

7. प्रतिवादी राज्य द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया गया कि सरकारी भूमि का उपयोग, चारदीवारी के निर्माण के लिए करने से पहले कल्याण विभाग द्वारा विधि सम्मत प्रक्रिया का पालन किया गया है तथा भूमि का उपयोग आदिवासियों द्वारा सरना स्थल के रूप में किया जा रहा है तथा इसमें भारत के संविधान के किसी प्रावधान का उल्लंघन नहीं किया गया है, इसलिए प्रतिवादी राज्य के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया कि रिट याचिका में कोई दम नहीं होने के कारण इसे खारिज किया जाना चाहिए।

8. बार में प्रस्तुत किए गए तर्कों को सुनने और अभिलेख में उपलब्ध सामग्री का अध्ययन करने के पश्चात यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता ने अपनी व्यक्तिगत हैसियत से रिट याचिका दायर की है और यह निर्विवाद है कि झारखंड राज्य ने जहरे स्थान घेराव योजना के नाम और शैली में कार्यक्रम चलाया है

और याचिकाकर्ता द्वारा उक्त कार्यक्रम को चुनौती नहीं दी गई है। यह कोई जनहित याचिका नहीं है और याचिकाकर्ता के एकमात्र मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया गया है, जो संविधान के अनुच्छेद 25 में परिकल्पित है। याचिकाकर्ता ने कहीं भी यह नहीं बताया कि उसका धर्म क्या है और यदि है भी, तो सरकार के कृत्यों से सरना स्थल के चारों ओर चारदीवारी बनाने से याचिकाकर्ता के स्वतंत्र रूप से धर्म मानने, अभ्यास करने और प्रचार करने के अधिकार पर किसी भी तरह से असर पड़ता है। याचिकाकर्ता का यह तर्क कि उसके घर में प्रवेश और निकास का अधिकार, चारदीवारी के निर्माण से प्रभावित होगा, किसी भी तरह से आधारहीन है, क्योंकि निर्माण कार्य चल रहा है, उस भूमि में या उसके आसपास याचिकाकर्ता की किसी भी भूमि के स्वामित्व का कोई दस्तावेज नहीं है। याचिकाकर्ता का यह तर्क कि विचाराधीन भूमि सार्वजनिक कार्य के लिए उपयोग की गई थी, को पूर्वी सिंहभूम के मानगो के अंचल अधिकारी ने अस्वीकार कर दिया है, जिन्होंने जवाबी हलफनामा दिया है और इस तरह के विवादित तथ्य का इस रिट याचिका में निश्चित रूप से निर्णय नहीं लिया जा सकता है। इसी प्रकार, याचिकाकर्ता का यह दावा कि कोई सरना स्थल कभी अस्तित्व में नहीं था, जिसके चारों ओर चहारदीवारी का निर्माण किया जाना है, का भी अंचल अधिकारी, मानगो ने जवाबी हलफनामे में जोरदार खंडन किया है तथा जवाबी हलफनामे में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि प्रश्नगत स्थान पर सरना स्थल का अस्तित्व है, जिसके चारों ओर सरकार की एक विशेष योजना के तहत, जहराय स्थान घेराव योजना के नाम और शैली में चहारदीवारी का निर्माण किया जाना है। निर्विवाद तथ्य यह है कि इलाके में एक आम बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें प्रश्नगत सरना स्थल की चहारदीवारी के निर्माण का निर्णय लिया गया था।

9. यह विधि का स्थापित सिद्धांत है कि मंदिर जैसे धार्मिक स्थल का प्रबंधन एक धर्मनिरपेक्ष कार्य है जैसा कि भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश गोपालकृष्णन नायर एवं अन्य बनाम केरल राज्य एवं अन्य (एआईआर 2005 एससी 3053) के मामले में माना है। भारतीय संविधान के तहत धर्मनिरपेक्षता का अर्थ ईश्वर विरोधी नहीं है जैसा कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एसआर बोम्मई एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य (एआईआर 1994 एससी 1918) के मामले में अनुच्छेद 116 में कहा है। धर्मनिरपेक्षता, जो संविधान के मूल ढांचे का एक हिस्सा है, सभी धर्मों के प्रति सम्मान रखती है। सभी धर्मों, संस्कृतियों की धार्मिक प्रथाओं को संरक्षित करना एक संवैधानिक दायित्व है और उस दिशा में कार्य करना भी एक संगत कर्तव्य है; जैसा कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सारिका बनाम प्रशासक, श्री महाकालेश्वर मंदिर समिति, उज्जैन (मध्य प्रदेश) और अन्य के मामले में माना है। 2018 (17) एससीसी 112 में रिपोर्ट किया गया।

10. ऐसी परिस्थितियों में, इस न्यायालय का यह सुविचारित मत है कि अभिलेख में उपलब्ध सामग्री, अनुसूचित क्षेत्र में सरना स्थल के चारों ओर दीवार के निर्माण द्वारा याचिकाकर्ता के धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के किसी भी उल्लंघन को स्थापित करने के लिए अपर्याप्त है और इसलिए, मौलिक अधिकारों के किसी भी उल्लंघन की अनुपस्थिति में, याचिकाकर्ता के पास किसी विशेष योजना के तहत राज्य सरकार के निर्णय को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है, जब योजना स्वयं चुनौती के अधीन नहीं है।

11. तदनुसार, यह रिट याचिका बिना किसी योग्यता के खारिज की जाती है।

(अनिल कुमार चौधरी, न्यायाधीश)

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची

दिनांक 04 अप्रैल, 2024
स्मिता/एएफआर

यह अनुवाद ज्ञान रंजन, पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया।